रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256593 CG-DL-E-23082024-256593

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3278]

No. 3278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश. 2024

का.आ. 3595(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 का करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 के, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
- *(2) यह 24 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फ़ा. सं. पीसीटी-59011/44/2022-पीसी टेक-सीपीसी] दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ.920(अ) तारीख 26 फरवरी. 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

5386 GI/2024 (1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department Of Chemicals And Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

POLY VINYL CHLORIDE (PVC) HOMOPOLYMERS (QUALTITY CONTROL) AMENDMENT, ORDER, 2024

- **S.O.** 3595(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers (Quality Control) Order, 2024.namely: -
- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers (Quality Control) Amendment Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —
- *(2) It shall come into force on the 24st day of December, 2024."

[F. No. PCT-59011/44/2022-PC.TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 920(E), dated the 26th February, 2024.